

पत्रांक संख्या: 606 / 181 / UWCDS / 2017-18

दिनांक: 12, फरवरी 2018

विज्ञाप्ति

उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक महत्वकांक्षी पहल

उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना की अवधारणा की गयी, जिसमें महिलाओं की शक्ति का सदपयोग करते हुए महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु लाभकारी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। विशेषकर महिला कार्यबोझ में कमी लाते हुए उनके स्वास्थ्य सुधार एवं लाभप्रद स्वरोजगार प्रदान करने सम्बन्धी लक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिता प्रदान करने की दृष्टि से लाभकारी, उपयुक्त एवं अभिनव परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

अर्हता—

1. सरकारी संस्थान/एजेन्सी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ एवं रजिस्टर्ड एजेन्सी, जो महिला विकास क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखती हों, द्वारा अपने प्रस्ताव प्राप्त कराये जा सकते हैं।
2. गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थाएँ/एजेन्सी उत्तराखण्ड राज्य में ही कम से कम 03 वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट/कम्पनी एकट/भारतीय ट्रस्ट एकट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है तथा संस्था का विगत 03 वर्ष का आडिट वार्षिक व्यय सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षों का औसतन आय-व्यय न्यूनतम 25.00 लाख का होना अनिवार्य है।
4. संस्था/एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों।
5. उक्त के अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूह जिनके गठन को 03 वर्ष पूर्ण हो चुके हों व किसी भी विभागीय योजना के तहत पंजीकृत हों एवं जिनके विगत 03 वर्षों की औसत आय व्यय रु0 1.00 लाख की हो या वर्तमान की तिथि तक बचत न्यूनतम रु0 1.00 लाख हो, को भी आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक संस्था/एजेन्सी/महिला स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के उपरोक्त पते पर दिनांक 28 फरवरी 2018 सांय 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन को जमा करने का प्रपत्र विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है। उक्त के संबन्ध में योजना के अंतर्गत प्रस्ताव चयन से सम्बन्धित समस्त अधिकार उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास नियत रहेंगे।

निदेशक/उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति